

03 / 04 / 2023

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री उपेन्द्र शर्मा तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री एस0डी0 गड़कोटी व श्री एल0डी0 नरियाल उपस्थित। अभियुक्त सं0— 1 लगायत 16 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0डी0 गड़कोटी एवं श्री एल.डी.नरियाल द्वारा हाजिरी माफी मय तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र 279 ख 1 व 279 ख 2 पेश। स्वीकृत। अभियुक्त सं0— 1 लगायत 16 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव साक्ष्य समाप्त करने का पृष्ठांकन किया गया तदोपरान्त बचाव साक्ष्य समाप्त कया गया। पत्रावली वास्ते बहस /अनुपालन 437ए द.प्र.सं. दिनांक 11/04/2023 को पेश हो।

(रजनीश मोहन)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट
टनकपुर, जिला चम्पावत।